न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/311/2018

उनवान

1. हेम सिंह पिता गोविन्द सिंह रावत निवासी धापडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 196/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.5..2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री एच डी वर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी भूतपूर्व सैनिक है तथा भारतीय सेना में अपनी सेवा देते हुए सन् 1978 में सेवा निवृत हुए तथा सेवा में रहते समय वीरता पूर्व कार्य करने की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम धापडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में 20 बीघा जमीन देने का आदेश दिया था, जिस पर वादी द्वारा सन् 1970 में ग्राम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धापडा में 20 बीघा भूमि पर कब्जा किया, उसी अनुसार आज दिनांक तक तक उस पर कब्जा चला आ रहा है। लेकिन दिनांक 9.7.1970 को 20 बीघा भूमि आवंटित नहीं हुई , जिसके खसरा नम्बर 6 में केवल 15 बीघा का आवंटन ही किया , लेकिन खसरा नम्बर 6 में 20 बीघा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा सेटलमेण्ट के दौरान खसरा नम्बर 6 के नवीन नम्बर 1070 व 1071 नम्बर पडे, इन्हीं नम्बरों पर पुरानी जरीब के अनुसार 20 बीघा भूमि पर कब्जा होकर काश्त करता चला आ रहा था, तथा दिनांक 9.7.1970 में खसरा नम्बर 06 में 20 बीघा भूमि का आवंटन नहीं हुआ जिसमें से 15 बीघा भूमि का आवंटन किया , जिसमें नई जरीब से 02 बिस्वा कम करते हुए साबिक नम्बर से हाल नम्बर 1196/1070 रकबा 07 बीघा व आराजी नम्बर 1197/1071 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा तथा शेष भूमि जिसके आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 02 बीघा व आराजी नम्बर 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर भी वादी का कब्जा होकर आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है।

2. आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 2 बीघा, 1265/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज रहते हुए , दिनांक 27.6.1989 को आराजी नम्बर 1070 में से रकबा 2 बीघा आवंटन मिसल संख्या 3370/89 आवंटन भूमि के नियमों व शर्तो के विरूद्ध जाकर लक्ष्मण सिंह पिता मोती सिंह रावत निवासी धापड को आवंटन कर दिया तथा आराजी नम्बर 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को भी दिनांक 27.6.1989 को मिसल संख्या 3378/89 को प्रताप सिह पिता मोती सिंह रावत निवासी धापडा को विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन कर दिया जिसका पता चलने पर वादी द्वारा न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहॉ आवंटन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की, जिसमें

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 27.11.2002 को प्रकरण संख्या 49/2001 आवंटन निरस्तीकरण से प्रतापसिंह पिता मोती सिंह रावत का आराजी संख्या 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, तथा प्रकरण संख्या 50/2001 आवंटन निरस्तीकरण का दिनांक 27.11.2002 को आराजी संख्या 1254/1070 रकबा 2 बीघा का आवंटन निरस्त कर दिया ।

3. वादी को आवंटन सन् 1970 के पास आराजी संख्या 1254/1070 रकबा 2 बीघा व आराजी नम्बर 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर सन् 1970 से आज दिन तक काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है तथा राजस्व रेकार्ड पी–14 व खसरा गिरदावरी में भी निरन्तर आज दिन तक नाजायज कब्जे के रूप में राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम पर अंकन है, इस तरह उक्त भूमि पर वादी पिछले 47 वर्षों से निरन्तर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है , जिसकी वजह से पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजियात वादी के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत है । जिस पर राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त कर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 6.2.2017 को प्रतिवादी एवं राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर,भीलवाडा को 80 सी पी सी का नोटिस देकर निवेदन किया । अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा व डिक्री पारित की जावे कि ग्राम धापडा पटवार हल्का थाणा, भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 2 बीघा भूमि का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे। तथा वादी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ग्राम धापडा पटवार हल्का थाणा, भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 2 बीघा भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी अथवा उसके कर्मचारी दखलन्दाजी नहीं करें एवं जबरन बेदखल कर अन्य को उक्त आराजियात आवंटन/नियमन नहीं करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण मौका नहीं दिया तथा उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी भूतपूर्व सैनिक है तथा भारतीय सेना में अपनी सेवा देते हुए सन् 1978 में सेवा निवृत हुए तथा सेवा में रहते समय वीरता पूर्व कार्य करने की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम धापडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में 20 बीघा जमीन देने का आदेश दिया था, जिस पर अपीलार्थी/वादी द्वारा सन् 1970 में ग्राम धोपडा में 20 बीघा भूमि पर कब्जा किया, उसी अनुसार आज दिनांक तक तक उस पर कब्जा चला आ रहा है। लेकिन दिनांक 9.7.1970

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को 20 बीघा भूमि आवंटित नहीं हुई , जिसके खसरा नम्बर 6 में केवल 15 बीघा का आवंटन ही किया , लेकिन खसरा नम्बर 6 में 20 बीघा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा सेटलमेण्ट के दौरान खसरा नम्बर 6 के नवीन नम्बर 1070 व 1071 नम्बर पडे, इन्हीं नम्बरों पर पुरानी जरीब के अनुसार 20 बीघा भूमि पर कब्जा होकर काश्त करता चला आ रहा है।

8. अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त होने के उपरान्त भी आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 2 बीघा, 1265/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज रहते हुए , दिनांक 27.6.1989 को आराजी नम्बर 1070 में से रकबा 2 बीघा आवंटन मिसल संख्या 3370/89 आवंटन भूमि के नियमों व शर्तो के विरूद्ध जाकर लक्ष्मण सिंह पिता मोती सिंह रावत निवासी धापड को आवंटन कर दिया तथा आराजी नम्बर 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को भी दिनांक 27.6.1989 को मिसल संख्या 3378/89 को प्रताप सिह पिता मोती सिंह रावत निवासी धापडा को विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन कर दिया जिसका पता चलने पर वादी द्वारा न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहॉ आवंटन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की, जिसमें दिनांक 27.11.2002 को प्रकरण संख्या 49/2001 आवंटन निरस्तीकरण से प्रतापसिंह पिता मोती सिंह रावत का आराजी संख्या 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, तथा प्रकरण संख्या 50/2001 आवंटन निरस्तीकरण का दिनांक 27.11.2002 को आराजी संख्या 1254/1070 रकबा 2 बीघा का आवंटन निरस्त कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त अपीलार्थी का लगातार चला आ रहा है। अतः आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 2 बीघा, 1265/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का अपीलार्थी/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तथ्यों पर कोई विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह अंकित किया है कि वादी को न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2002 के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2002 का अवलोकन नहीं किया। अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 2 बीघा, 1265/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज रहते हुए , दिनांक 27.6.1989 को आराजी नम्बर 1070 में से रकबा 2 बीघा आवंटन मिसल संख्या 3370/89 आवंटन भूमि के नियमों व शर्तो के विरूद्ध जाकर लक्ष्मण सिंह पिता मोती सिंह रावत निवासी धापड को आवंटन कर दिया तथा आराजी नम्बर 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को भी दिनांक 27.6.1989 को मिसल संख्या 3378/89 को प्रताप सिह पिता मोती सिंह रावत निवासी धापडा को विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन कर दिया जिसका पता चलने पर वादी द्वारा न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहॉ आवंटन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की, जिसमें दिनांक 27.11.2002 को प्रकरण संख्या 49/2001 आवंटन निरस्तीकरण से प्रतापसिंह पिता मोती सिंह रावत का आराजी संख्या 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, तथा प्रकरण संख्या 50/2001 आवंटन निरस्तीकरण का दिनांक 27.11.2002 को आराजी संख्या 1254/1070 रकबा 2 बीघा का आवंटन निरस्त कर दिया ।

10. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न निर्णयों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आराजी संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का प्रताप सिह पिता तथा मोती सिंह रावत निवासी धापडा को किया गया आवंटन एवं आराजी संख्या 1254/1070 रकबा 2 बीघा का लक्ष्मण सिंह पिता मोती सिंह रावत निवासी धापड को किया गया आवंटन अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2002 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

11. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा ग्राम धापडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में 20 बीघा जमीन देने का आदेश किया गया था परन्तु आवंटन आदेश में 15 बीघा भूमि का ही आवंटन किया गया, इस बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी कोई आदेश संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र मौखिक कथन के आधार पर निष्कर्षण किया जाना संभव नहीं है । ऐसे में उपलब्ध साक्ष्य अनुसार अपीलार्थी को 15 बीघा भूमि का ही आवंटन किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है।

12. अपीलार्थी का कथन है कि राज्य सरकार के निर्देश में अपीलार्थी/वादी ने 20 बीघा भूमि पर कब्जा किया था एवं आवंटन 15 बीघा भूमि का किया गया था। आवंटन के अलावा शेष वादग्रस्त हाल आराजी संख्या 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1254/1070 रकबा 2 बीघा पर अपीलार्थी का 1970 से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जो कि साबिक आराजी नम्बर 587 का ही भाग है। अपीलार्थी ने अपने कब्जे बाबत खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2065, 2066, 2062, 2067, 2064, की ही प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जाकाश्त अनवरत होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी अथवा पी–14 के नोटिस की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे अपीलार्थी द्वारा अंकित कथनों को साबित करने में अपीलार्थी असफल रहा है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. हमनें अपील मेमो का अध्ययन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया । अपीलार्थी/वादी को 15 बीघा भूमि आवंटन होना रिकार्ड से साबित है परन्तु आराजी नं0 1256/1070 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 1254/1070 रकबा 2बीघा भूमि के आवंटन बाबत अपीलाण्ट/वादी के पक्ष में राज्य सरकार अथवा किसी भी स्तर से कोई आदेश जारी हुआ हो ऐसा पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। अपीलार्थी/वादी द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त 4.10 बीघा भूमि पर अन्य मौतबिरान को आवंटन होना तथा आवंटन आदेशों की अपील में न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा आराजी संख्या 1256/1070 व आराजी संख्या 1254/1070 पर किये गये आवंटनों को खारिज किया जाना जाहिर हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा आवंटन से भिन्न 4.10 बीघा सिवायचक भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा चाही है तथा इस बाबत साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत किये हैं। अपीलाण्ट/वादी राजकीय बिलानाम दर्ज भूमि पर निरन्तर कब्जा साबित कर खातेदारी उद्घोषणा चाहते हैं, परन्तु अतिक्रमण के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु पर अपना पक्ष साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे में यह स्पष्ट प्रतिपादित होता है कि वर्तमान में अपीलाण्ट विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा चाहते है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम थाणा में वादी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर एवं वादी को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त हम यह पाते हैं कि उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी/वादी को विवादित आराजियात पर किसी भी प्रकार से खातेदारी उद्घोषणा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मान कर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर आवंटन से प्राप्त भूमि से भिन्न कब्जा किया जाकर अपीलाण्ट द्वारा न सिर्फ राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है वरन इस प्रकार के अतिक्रमण को वैध घोषित कराने के लिए राजस्व न्यायालय की शरण ली है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की ओर से अपर जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 27.11.2002 का अध्ययन किया जाकर राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन की चरण संख्या 5 में उल्लेखानुसार वादग्रस्त 4.10 बीघा भूमि से अतिचारी को बेदखल किया जाने से व राज्य सरकार के अभिलेखों में वादग्रस्त 4.10 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड होनेसे घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी को किसी प्रकार की राहत प्रदत्त नहीं किया जा सकना अभिलिखित किया है तथा वाद पत्र खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं। अपीलाण्ट/वादी को विस्तृत रूप से सुना गया तथा पग्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मेरा विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट/वादी निरन्तर कब्जे को साबित नहीं कर सके हैं तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजकीय बिलानाम भूमि पर खातेदारी उद्घोषणा का वाद साबिज नहीं होने से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 को उचित पाते हैं।

14. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.5.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/311/2018

उनवान

1. हेम सिंह पिता गोविन्द सिंह रावत निवासी धापडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 196/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.5..2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/311/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, करेडा** के आदेश की अपील इस

यह अपील तारीख 26.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एच डी वर्मा प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 26.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.5.2018 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस